फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2024/232 बअनवान संत जोधाराम बनाम रामाराम
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
(प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 सीपीसी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
27.05.26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी पर उभयपक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी श्री मगाराम चौहान द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि प्रार्थी व अन्य खातेदार हिमताराम वगैरा ने अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1126 में से इसी आशय का आवेदन पत्र पेश किया था। जो मुकदमा संख्या 31/2018 हिमताराम वगैरा बनाम रामाराम वगैरा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 09.12.2019 से स्वीकार होने से अप्रार्थी द्वारा इसकी अपील राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के समक्ष कर रखी है। पूर्व प्रकरण एवं वर्तमान प्रकरण में खातेदारान एवं पक्षकारान समान है। तथा विवाध विषय पूर्व संस्थित प्रार्थना पत्र में भी प्रत्यक्षतः और सारत समान होने से इस प्रकरण की कार्यवाही को धारा 10 सीपीसी के प्रावधानों अनुसार स्थगित किये जाने की मांग की। इसके विपरीत अधिवक्ता प्रार्थी श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में प्रार्थना पत्र जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि पूर्व प्रार्थना पत्र हिमताराम वगैरा द्वारा पेश किया गया था न कि प्रार्थी द्वारा जिस कारण से प्रार्थी प्रभावित खातेदार नहीं होने से नया आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने केवल अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में से रास्ता चाहा है जबकि मुकदमा संख्या 31/2018 के आदेश अनुसार प्रार्थी की कृषि भूमि में से भी रास्ता दिया गया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र की विषय वस्तु, पक्षकार एवं अनुतोष समान नहीं होने से अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की दलील दी। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम धणी के खसरा नंबर 1125 रकबा 1.43 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से प्रार्थी ने धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उक्त आवेदन पेश कर पडौसी खसरा नंबर 1126 रकबा 1.56 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित ट्रैक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया है। जिस संबंध में अप्रार्थी पक्ष द्वारा धारा 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर कार्यवाही को राजस्व अपील प्राधिकारी पाली में लंबित अपील 21/2020 रामाराम बनाम हिमताराम के निर्णय तक रोके जाने की मांग इस बिनाय पर की जा रही है कि पूर्व प्रकरण तथा इस प्रकरण के पक्षकार समान होने, प्रार्थना पत्र की विषय वस्तु समान है। इस संबंध में उपलब्ध तथ्यों के अवलोकन से ज्ञात है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी की भूमि में से नये रास्ते की मांग की है, इसी आशय की मांग में पूर्व में प्रार्थी व अन्य पक्षकारों ने मांग की थी जिस पर न्यायालय आदेश से रास्ता स्वीकृत किया गया। जिसकी अपील अप्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के न्यायालय में की जा चुकी है। इस प्रकार पूर्व निर्णीत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के विवाद विषय समान होने तथा उसकी अपील अपर न्यायालय में हो जाने से धारा 10 सीपीसी के प्रावधानों अनुसार प्रार्थी का उक्त प्रकरण चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner